

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग - 2115-I-16

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-छतरपुर

श्री दिवाकर डी 11510
द्वारा आज दि 1-7-16 को
प्रस्तुत
केलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- 1- राघवेंद्र सिंह पुत्र स्व. श्री लक्ष्मन सिंह
- 2- विरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री लक्ष्मन सिंह
निवासीगण-ग्राम कदारी हाल निवास पुराने
रोजगार कार्यालय के पास तहसील व जिला
छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- मीनाक्षी सिंह पुत्री स्व. श्री लक्ष्मन सिंह पत्नी
देवेन्द्र सिंह चौहान
निवासी - ग्राम बसारी हाल निवास साईं मन्दिर
के पास छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर
(म.प्र.)
- 2- पान सिंह बेवा लक्ष्मन सिंह
निवासी - ग्राम कदारी हाल निवास पुराने
रोजगार कार्यालय के पास तहसील व जिला
छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक
57/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 03.06.2016 के विरुद्ध
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है।


- 1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर का आदेश अवैध

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2115-एक/16

जिला - छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/04/2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित एवं अंनावेदक अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि वे इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। यह प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	

3